समग्र ग्राम विकास

अनिल माधव दवे

प्रकाशक
प्रभात प्रकाशन
4/19 आसफ अली रोड,
नई दिल्ली-2
इ-मेल : prabhatbooks@gmail.com

संस्करण
प्रथम 2009
द्वितीय 2012
तृतीय 2014
चतुर्थ 2018

आकल्पन
रूपक टेलर

मुद्रक
ग्राफिक वर्ल्ड, नई दिल्ली

मूल्य
एक छोटे ग्राम या बस्ती का विकास स्वयं के हाथ में लीजिए।

प्रस्तावना

70 साल से इस देश के कर्णधार गाँव के विकास की बात करते आ रहे हैं। प्रचार माध्यमों से लगाकर पंचवर्षीय योजनाओं तक हमने ग्राम विकास के नाम पर अरबों रुपए फूँक दिए हैं, लेकिन इस सबके बाद भी आज के अविकसित गाँवों का दृश्य हमारे सामने है। आलोचना आसान है, कार्य कठिन है। अगर गाँव विकसित नहीं हो पाए तो उसका एक ही कारण है, ग्राम विकास करनेवालों ने काम कम और भाषण ज्यादा दिए हैं। जिस तंत्र को विकास कार्यों को क्रियान्वित करना था, उसके प्रयत्न में प्रामाणिकता का अभाव रहा।

छुटपुट रूप से जहाँ-जहाँ भी व्यक्ति या संस्थाओं ने इस दिशा में प्रयत्न किए हैं, तो उसके दर्शनीय परिणाम भी लोगों को दिख रहे हैं। आज का समय बीते हुए कल की आलोचना करके नहीं बिताया जा सकता। हमें स्वप्न देखना है और उसे पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह पुस्तक समग्र ग्राम विकास के लिए पाथेय स्वरूप है। सहज, सरल स्वरूप में हमारा वैभवपूर्ण इतिहास, अविकसित वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य को लघु रूप में यहाँ संकलित किया गया है। यह पुस्तक संकेतक है। सब कुछ इसी में है, यह भ्रांत धारणा न लेखक की है, न किसी और को रखनी चाहिए। हमारा देश प्रयोग करने वालों से भरा हुआ है। अभी तक हो चुके बहुत सारे सफल प्रयोगों को अपने गाँव में उतारने का प्रयत्न ग्राम विकास में लगे हुए लोग करेंगे ही।

यह लघु पुस्तिका ग्राम विकास में लगे कार्यकर्ताओं की सहयोगी बने, इस हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है। अगले संस्करण में कुछ जोड़ना या घटाना पाठक के ध्यान में आए तो कृपया निम्न पते पर सुझाव लिख भेजने का कष्ट करें।

—अनिल माधव दवे

पता–
नर्मदा समग्र न्यास
'नदी का घर'
सीनियर एच.आई.जी.-2,
अंकुर कॉलोनी, शिवाजी नगर,
भोपाल-462016
दूरभाष : 0755-2460754
इ-मेल : narmadasamagra@gmail.com

अनुक्रमणिका

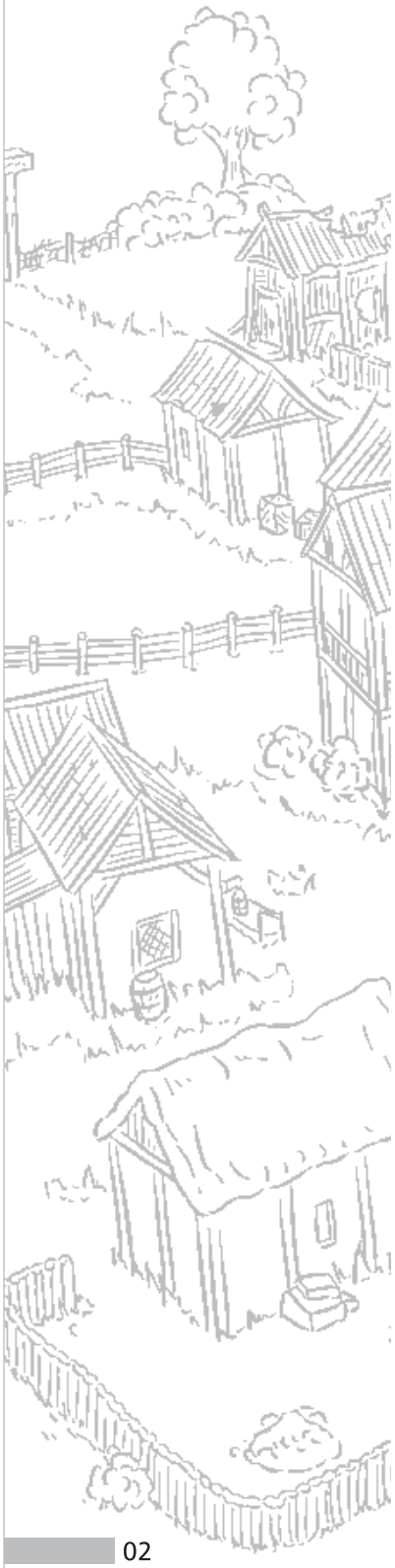

1.	हमारे समृद्ध गाँव	03
2.	अंग्रेजों के आगमन के समय का भारत	07
3.	आज की स्थिति	09
4.	विकास की भ्रांत धारणाएँ	10
5.	समग्र ग्राम विकास के चरण	13
6.	सफलता के मूल तत्त्व	16
7.	नवाचार	17
8.	गौवंश संवर्धन	19

''प्रत्येक देशभक्त के समक्ष यह चुनौती होगी कि भारत के गाँव का ऐसा पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जाए कि कोई भी व्यक्ति उनमें भी उतनी ही आसानी से रह सके, जैसे कि शहरों में रहा जाता है।''

– महात्मा गांधी

(हरिजन, 7-3-1936)

योजनापूर्वक उजाड़े गए हमारे समृद्ध गाँव

भारत का अस्तित्व, उसकी संस्कृति, सभ्यता और साख सब गाँव से है। यदि गाँव नष्ट हो गए तो भारत नहीं बचेगा। इसलिए भारत को नष्ट करने के लिए अंग्रेज शासकों ने गाँव व उसके तंत्र पर ही हमला किया। इस तरह भारतीय ग्राम्य जीवन का पूरा ताना-बाना तहस-नहस करने के कुचक्र शताब्दियों तक चले। आज भारत के गाँवों का अस्तित्व संकट में है।

एक समय था जब हमारे समृद्ध गाँव पूर्णतया आत्मनिर्भर थे, सुसंस्कृत थे, सुविकसित थे, स्वावलंबी थे और आधुनिक विज्ञान विश्लेषकों के लिए एक अबूझ पहेली भी थे। आज विज्ञान का ऐसा कोई विषय नहीं, कोई अनुसंधान नहीं, जिसकी झलक शताब्दियों पहले बसे भारतीय गाँवों में न मिलती हो।

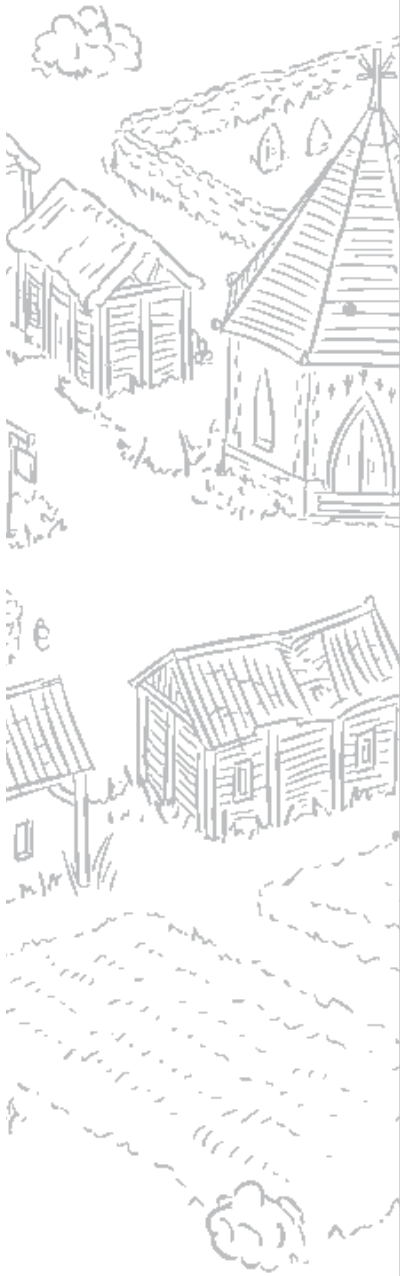

भारतीय गाँवों का समाज-विज्ञान, न्याय, प्रबंधन, नगर-संरचना, वस्त्र-विज्ञान, वास्तु-विज्ञान ही नहीं, व्यापार-विनिमय व अर्थतंत्र की परंपराएँ भी ऐसी रही हैं, जहाँ आज संसार पहुँचने के प्रयत्न में लगा है। उन गाँवों की बुनियाद मानव शक्ति , श्रम, प्राकृतिक संसाधन, कुशल आर्थिक प्रबंधन और सामाजिक संतुलन पर आधारित थी। व्यक्तियों में उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार कामों का बँटवारा था। गाँव का राजस्व सामूहिक हुआ करता था। किसी एक पर बोझ नहीं। राजस्व के लिए किसी एक का दमन नहीं। गाँव में खुली हवा, स्वच्छ जल, पौष्टिकता से भरपूर अन्न, फल और सब्जियाँ ग्रामीण जनों को शतायु बनाया करती थीं।

कृषि, फल या फसलों के उत्पादन के अलावा श्रेष्ठ वस्त्रों की बुनाई, शिल्प, हस्तकला, भवन निर्माण सामग्री, लोहे के औजार, युद्ध सामग्री जैसे विविध निर्माण भी गाँवों में ही होते थे। शिक्षा व गहन अनुसंधान के केंद्र भी गाँव के समीप वनों में हुआ करते थे। गाँव सरकार पर नहीं अपितु सरकारें गाँव पर निर्भर थीं। यही बात विदेशी शासकों को खटकी और उन्होंने सबसे पहले सैन्य अभियानों से गाँव का ताना-बाना ध्वस्त किया और फिर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर गाँव की व्यवस्थाओं और विशेषताओं को शनैः-शनैः तोड़ डाला। अपने हित के लिए, अपने हिसाब से, अपने कानून लागू करवाना शुरू किए। मैकाले की शिक्षा पद्धति, न्याय के नियम, औद्योगिक प्राथमिकताएँ, ग्राम उजाड़ नीति द्वारा पारंपरिक कलाओं को छीनना सब ऐसा था कि भारतीय जीवन से स्वत्व के बोध को समाप्त कर उन्हें दास बनाया जा सके। इस तरह धीरे-धीरे हमारे समृद्ध गाँव की स्वावलंबी व्यवस्था को विखंडित कर दिया गया।

गुलामी से पहले के भारत की एक झलक

1. उद्योग

हमारे गाँव उद्योग संपन्न थे। गाँव की जरूरतें कुटीर उद्योगों और स्थानीय मेधा से पूरी होती थीं। गाँव का उत्पादन पहले गाँव की आवश्यकता पूर्ण करता था। उससे बचे हुए मात्रा का निर्यात होता था। व्यापार विनिमय (सामग्री के लेन-देन) में कृषि उत्पाद व मुद्रा दोनों का प्रचलन था। ग्राम्य उद्योग व्यवस्था

पूर्णतया स्वावलंबी थी। श्रम शोषण से परे ग्रामीण जीवन दमन से मुक्त था। पूरे देश में लोहा, सूत, कपड़ा, कागज, रस्सी, चूने का पत्थर व भवन निर्माण सामग्रियों जैसे विविध उत्पादनों की प्रक्रियाएँ प्रचलित थीं। विदेशियों ने योजनापूर्वक हमारे इस अर्थतंत्र को तोड़ा और उद्योग नष्ट किए।

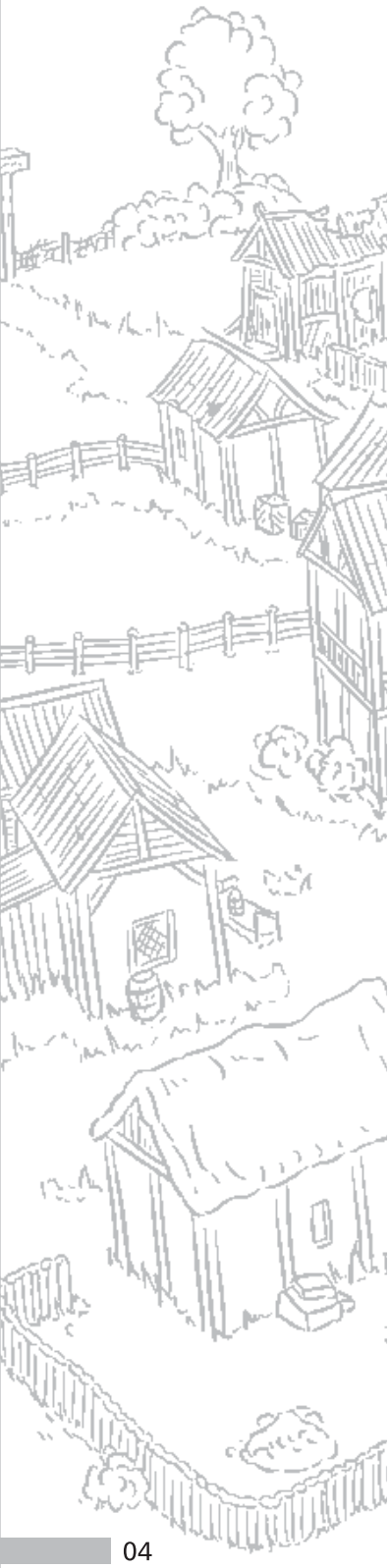

2. शिक्षा

भारत के गाँवों की शिक्षा सर्वसुलभ थी। गाँवों में पूर्णकालिक शिक्षक हुआ करते थे, जिन्हें गुरु या आचार्य के नाम से संबोधित किया जाता था। शिक्षा पूर्णत: नि:शुल्क थी। समाज शिक्षा संस्थानों का भार उठाता था। शिक्षक विद्यार्थियों के मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार उसको पढ़ाए जाने वाले विषयों का निर्धारण करते थे। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होती थी। मैकाले ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तुत किया, जैसे भारतीय परिवेश की शिक्षा बेहद पिछड़ी हो व अंग्रेजी शिक्षा ही सभ्य होने का एकमात्र मानक हो।

सन् 1822 में अंग्रेजों ने रेवेन्यू बोर्ड के अंतर्गत सर्वे किया और पाया कि वर्ष 1822-25 में मद्रास (चेन्नई) प्रांत के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग डेढ़ लाख थी। जिसमें 21 फरवरी, 1822 को दिए गए विवरण के अनुसार मद्रास प्रांत में शालाओं की कुल संख्या 12,498 थी, जबकि तब वहाँ की कुल आबादी 1.28 करोड़ थी अर्थात् उस समय एक हजार की आबादी पर एक शाला थी। यही औसत बंगाल में था। इन दोनों प्रांतों के आँकड़े इसलिए उपलब्ध हैं कि इस शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेजों का इन प्रांतों पर अधिकार हो गया और वे इन प्रांतों का शासन अपने हिसाब से करने के लिए विभिन्न सर्वे और प्रयोग करने में जुटे थे। तत्कालीन शिक्षा को समझने के लिए श्री धर्मपालजी की पुस्तक ब्युटीफुल ट्री (Beautiful Tree) अवश्य पढ़ें।

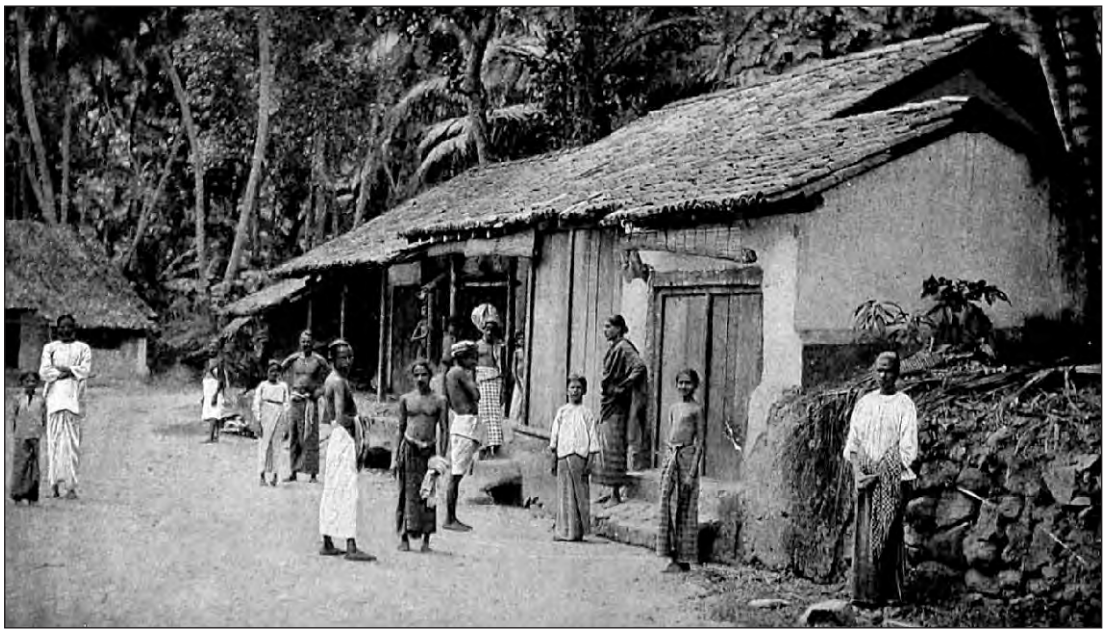

3. कृषि

भारतीय कृषि में सामूहिकता का भाव था। जीवन सामूहिक था। किसान अपनी भूमि तैयार करने के बाद अन्य किसानों की भूमि तैयार करने, जोतने अथवा बौनी करने स्वयं आगे आते थे। खेतों के किनारे चौड़ी-चौड़ी मेंड़ें छोड़ी जाती थीं। मेंड़ों के कारण खेत का अधिकांश पानी खेत में रहता था। खेत का उपजाऊ तत्त्व मिट्टी के साथ बाहर नहीं जाता था। फसलों का एक चक्र था। भूमि की उपज क्षमता बनी रहे, इस हेतु किसान विशेष प्रयत्न करते थे। भारत का किसान 10 हजार सालों से ज्यादा समय से इन्हीं खेतों में खेती कर रहा है। उसका भूमि का रख-रखाव इतना अच्छा था कि सारी भूमि उपजाऊ बनी रहती थी। जबकि अमेरिका, कनाडा व यूरोप जैसे देशों में किसान जो गत 50-60 सालों से रासायनिक खेती कर रहे हैं, अब उनकी लाखों एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं रह गई है। यूरिया व तीव्र कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोगों के कारण अब पंजाब व अन्य प्रांतों में यही स्थिति होने लगी है। वहाँ किसान अपने राज्य की भूमि बेच अन्य राज्यों में भूमि खरीदने लगे हैं। सामूहिक कृषि व्यवस्था को चरणबद्ध तोड़ा गया। लगान शोषण बन गया। इससे किसानों में जमीन की आपा-धापी बढ़ी। बल व दमनपूर्वक वसूली ने किसानों को अधिक से अधिक उत्पादन लेने की ओर प्रवृत्त किया। अंग्रेजों के समय व्यक्तिगत लगान कई बार इतना अधिक होता था कि ग्रामीण जन कृषि के बजाय शहरों में आकर मजदूरी करना ज्यादा पसंद करने लगे। लगान पद्धति ने गाँवों की गरिमा, शांति, सह-अस्तित्व समाप्त कर धरती-पुत्र का शोषण आरंभ कर दिया।

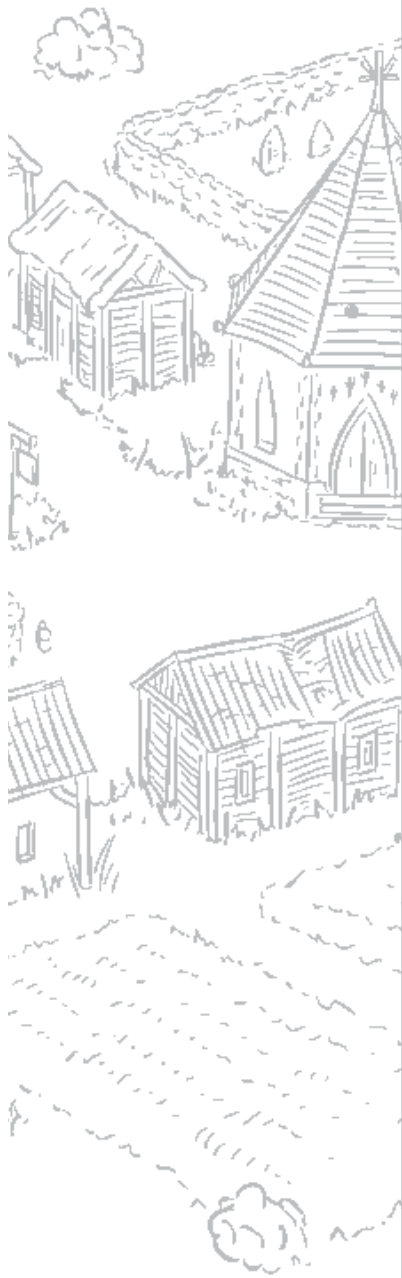

4. न्याय

भारतीय न्याय व्यवस्था सहज और त्वरित थी। गाँवों में विभिन्न समाजों का ताना-बाना था। गाँव में उठे विवाद व झगड़ों का निर्णय चौपाल पर खुले में सभी की उपस्थिति में होता था। पंचों का गाँव में ऊँचा नैतिक स्थान रहता था। गाँव के बुजुर्ग और सर्वमान्य व्यक्ति इस पंचायत के सदस्य हुआ करते थे। यह व्यवस्था सहज, सरल और पारदर्शी थी। विवादित परिवार व भूमि की पृष्ठभूमि पंचों को पहले से ज्ञात होती थी। अत: गवाह, प्रामाणिक प्रतियाँ व अन्य खर्चीली व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रहती थी। न्याय की इस व्यवस्था को योजनापूर्वक तोड़ा गया। पहले विदेशी शासकों ने गाँव में पटेल व मुकदम नियुक्त कर उन्हें अधिकार दिए। बाद में धीरे-धीरे ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से जनमी आधुनिक अदालतों का अस्तित्व पूरे देश में स्थापित हो गया।

5. समता

भारतीय गाँवों का समाज वर्गों में जरूर विभाजित था, किंतु वह भेदभाव रहित समानता और शुचिता से संपन्न था। वस्तुत: विभाजन व्यक्तियों का नहीं अपितु कार्यों का था। उनकी समानता के उदाहरण उत्सवों और सामूहिक समारोहों में देखे जा सकते थे। एक नदी में स्नान और एक ही कुएँ का पानी सभी पीते थे। लेकिन विदेशी हमलावरों ने योजनापूर्वक विभेद पैदा किया। काम के बँटवारे को व्यक्ति से जोड़ दिया गया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वर्ग को अस्पृश्य ठहराया गया। शासकों ने उनके लिए अलग बस्तियों का प्रावधान किया। इन्हीं सब विभेदों ने गाँवों की एकता को खंडित किया।

6. सह-अस्तित्व

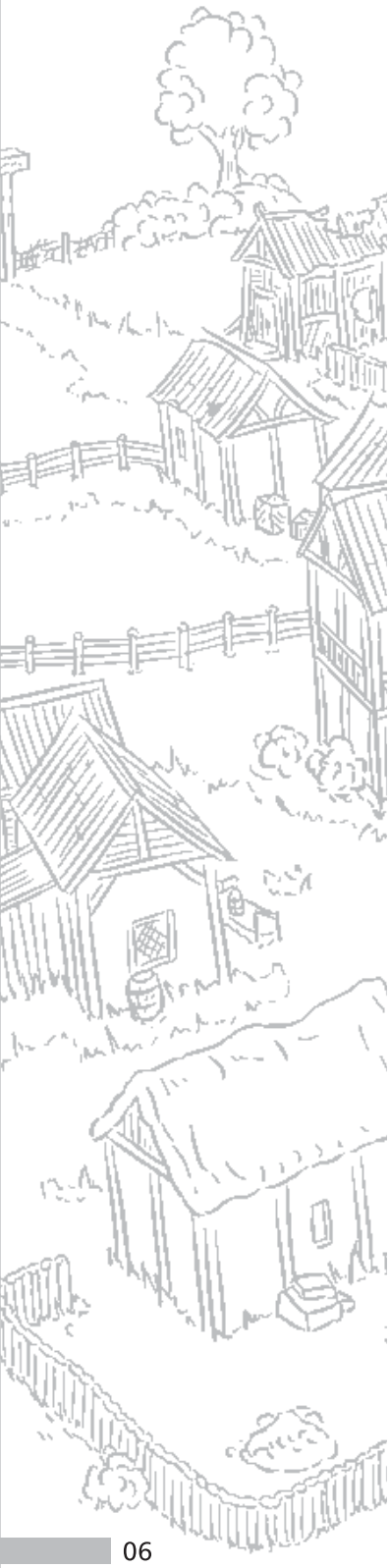

ग्राम्य-जीवन प्रकृति, प्राणियों व मनुष्य के सह-अस्तित्व से भरा हुआ था। सब एक-दूसरे के लिए आवश्यक और परस्परपूरक थे। जल की एक-एक बूँद का उपयोग और जल-स्रोतों का संरक्षण समाज करता था। जंगल से केवल वे ही लकड़ियाँ एकत्र की जाती थीं, जो सूखी व अनुपयोगी हों। श्रेष्ठ नियम और विधानों में जल का पूजन, वन का पूजन, जल देवता, वन देवी एवं धरती को माता के रूप में कल्पना सह-अस्तित्व के भावों का ही विस्तार था। विदेशी हमलों के साथ एक नया भाव आया कि प्रकृति का मालिक मनुष्य है। धरती-आसमान, पेड़-पौधे, प्राणी सब उसकी सेवा के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद वन, प्रकृति, प्राणी, पहाड़ों, पेड़ों पर जो हथौड़ा चला तो प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया । समूची धरती उपभोगवाद के कारण आज संकट में आ गई है।

एक स्वतंत्र, समृद्ध भारत का सपना देखने वाले महात्मा गांधी का स्पष्ट मत था कि गाँव भारत की ताकत थे, और रहेंगे। इसीलिए उन्होंने ग्राम विकास और गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने जब पहली बार अपने सपने के भारत की कल्पना की तो इसके निर्माण और स्थापना का पहला सपना गाँव से ही देखा था। उनके अधिकांश पत्रों, लेखों और उद्‌बोधनों में आत्मनिर्भर गाँव की कल्पना साफ झलकती है। वे भारतीय गाँवों को उसी रूप में देखना चाहते थे। जैसे वे अतीत में रहे थे। महात्मा गांधी ग्रामों का आधार चरखे को बनाना चाहते थे। चरखा यानी स्वावलंबन और कुटीर उद्योग का प्रतीक। गांधीजी का मानना था कि खाली समय में व्यक्ति की उत्पादकता नष्ट होती है और वह व्यसन की ओर मुड़ता है। गांधीजी का यह ग्राम विकास संस्कार पर आधारित था। वे चाहते थे कि पारंपरिक साधनों में तकनीकी का प्रयोग हो, उत्पादन बढ़े और प्रतिदिन शाम को समस्त ग्रामवासी एक स्थान पर बैठकर प्रार्थना-कीर्तन सभा का प्रबंध करें। वे गाँवों को वही वैभव, वही पुनर्जीवन देना चाहते थे, जिसका वर्णन भारतीय इतिहास की पुस्तकों में मिलता है, जो एक वास्तविक प्रजातंत्र है।

सुप्रसिद्ध विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र के परम वैभव के लिए विकास का आधार कृषि को बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि किसान केवल खाद्यान्न का उत्पादक नहीं अपितु औद्योगिक उत्पादनों का उपभोक्ता भी है। यदि वह समृद्ध और आत्मनिर्भर है, तभी कारखाने चलेंगे। दीनदयालजी ने अपने समय में भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की उपेक्षा और औद्योगिकीकरण का यह कहकर विरोध किया कि दुनिया के वे देश, जो कृषि की उपेक्षा करके आगे बढ़े हैं, उन्हें अंततः दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ा है। दीनदयालजी प्रत्येक ग्राम को लोकतंत्र की न्यूनतम इकाई और किसान को उसका आधार बनाना चाहते थे। एक संस्कारित, श्रम व साधना से युक्त किसान ही राष्ट्र का आधार है और उसी के माध्यम से राष्ट्र परम वैभव की प्राप्ति कर सकता है।

''भारतमाता ग्रामवासिनी है।''

– जयशंकर प्रसाद

अंग्रेजों के आगमन के समय का भारत उन्हीं की नजरों में

ब्रिटिश संसद् सदस्य जे. सीमोर के.—''हम जब भारत पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ उनके पास एक प्राचीन सभ्यता है, जो पिछले हजारों सालों से वहाँ रह रही अतिशय बुद्धिमान जातियों के चरित्र में घुल-मिल गई है। उनकी यह सभ्यता सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। उसने भारत को न केवल समाज के राजनैतिक जीवन के गठन की पद्धतियाँ दी हैं बल्कि सामाजिक और कौटुंबिक जीवन की अत्यंत विविध और समृद्ध संस्थाएँ भी दी हैं। ये सारी संस्थाएँ कुल मिलाकर कितनी हितकारी हैं, यह बात हिंदू जाति के चरित्र पर उनके प्रभाव को देखकर जानी जा सकती है। इस देश की जनता के चरित्र में उसकी सभ्यता का यह हितकारी प्रभाव जितना स्पष्ट है, उतना किसी अन्य देश की जनता में शायद ही मिले। वे व्यापार में चतुर हैं, विचार और विवेचन की गहराइयों में जाने वाली तीक्ष्ण बुद्धि रखते हैं; मितव्ययी, धर्म-परायण, संयमशील, उदार, माता-पिता की आज्ञा मानने वाले, वृद्धों को आदर देने वाले, कानून का पालन करने वाले, व्यवहार में मीठे, असहायों के प्रति दयालु और आपत्ति आ पड़ने पर उसे धीरज से सहन करने वाले हैं।''

कर्नल टामस मनरो—भारत में 32 वर्ष तक सरकारी अधिकारी रहे। ''खेती की अच्छी पद्धति, अद्वितीय वस्तु-निर्माण-कौशल, ऐसी सारी चीजें पैदा करने की क्षमता, जिनसे सुविधाओं में या सुखोपभोग में वृद्धि होती हो, लिखना-पढ़ना तथा गणित आदि सिखाने के लिए हर एक गाँव में पाठशालाएँ, अभ्यागत का स्वागत-सत्कार करने की सर्वसामान्य प्रथा और एक-दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव का गुण एवं सबसे बढ़कर स्त्री जाति इन्हें किसी जाति के सभ्य होने का चिह्न माना जाए तो हिंदू जाति यूरोप के किसी भी राष्ट्र से घटकर नहीं है, और यदि इन दोनों देशों के बीच सभ्यता का लेन-देन होता है तो मुझे निश्चय है कि इस देश से हम जो भी लेंगे, उससे लाभ ही होगा।''

सर विलियम वेडरबर्न, बैरिस्टर—''भारतीय गाँव इस प्रकार सदियों तक राजनीतिक अव्यवस्था की बाढ़ रोकने वाली दीवार और सादे, घरेलू तथा सामाजिक गुणों का धाम रहा है।'' इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि तत्त्ववेत्ताओं और इतिहास-लेखकों ने इस प्राचीन संस्था की हृदय से सराहना की है। ग्राम-संस्था स्वाभाविक सामाजिक इकाई और ग्राम-जीवन का श्रेष्ठ नमूना है। स्वयंपूर्ण, उद्योगशील, शांति-प्रेमी और शब्द के उत्तम अर्थ में प्राचीनता-प्रेमी। मेरा खयाल है कि आप मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि भारतीय गाँव के सामाजिक और घरेलू जीवन की इस झलक में ऐसा बहुत-कुछ है, जो सुहावना भी है और लुभावना भी। वह मनुष्य की जीवन-पद्धति का एक निर्दोष और सुखी नमूना है। इसके सिवा, उसके व्यावहारिक परिणाम भी बहुत अच्छे रहे हैं।

पादरी जे.ए. दुबोइ—''भारत में विवाहित स्त्रियाँ अपने घरों में अपने अधिकार का उपयोग परिवार के सदस्यों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में करती है, और उनमें से अधिकांश इस महत्त्वपूर्ण कर्तव्य को जिस विवेक और दूरदर्शिता से निभाती हैं, उसकी तुलना यूरोप में मुश्किल से ही मिलेगी। बड़े-बड़े लड़के और बड़ी-बड़ी लड़कियाँ तथा उनके बच्चों से निर्मित, तीस-तीस, चालीस-चालीस व्यक्तियों के परिवारों को मैंने किसी बड़ी-बूढ़ी स्त्री, उन बड़े-बड़े लड़के-लड़कियों की माँ या

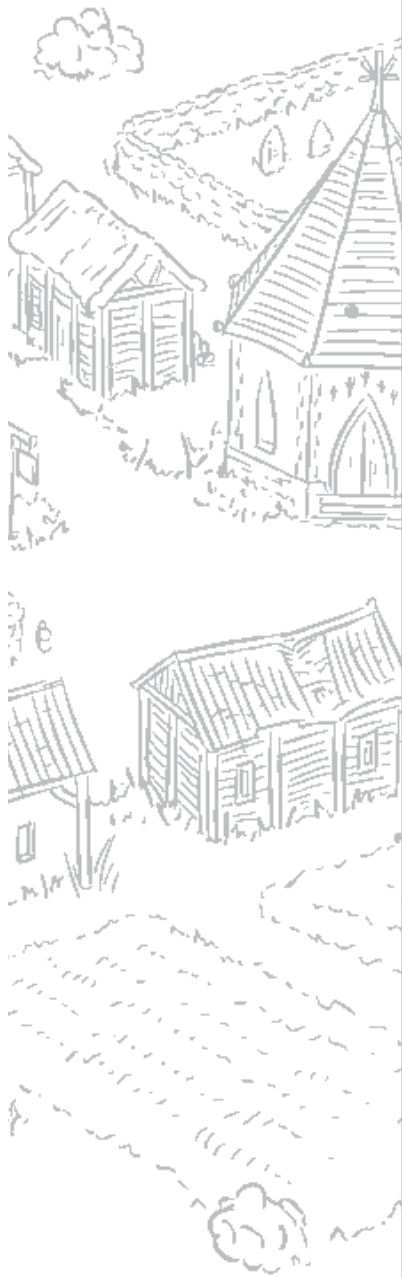

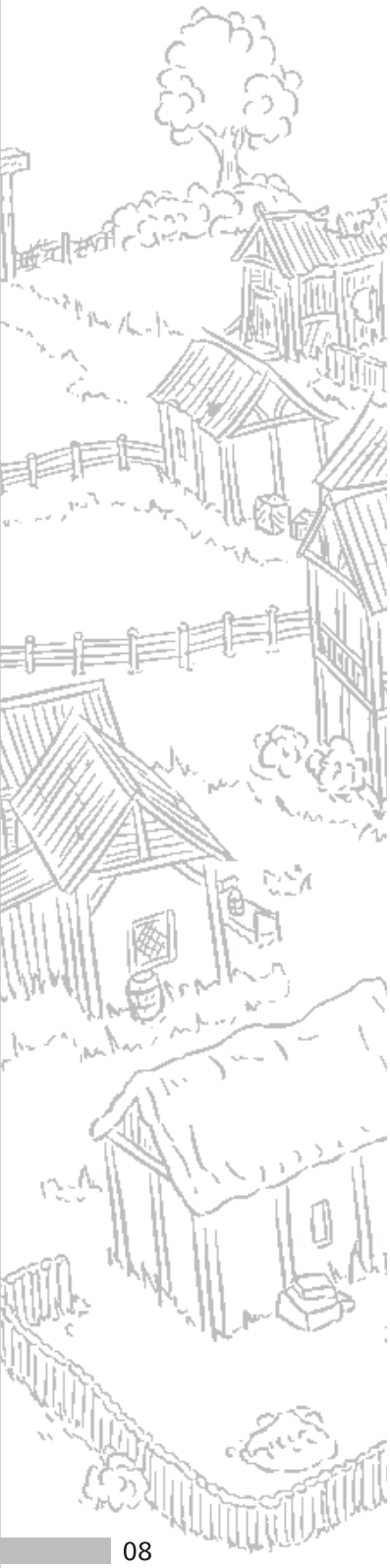

सास की अध्यक्षता में इकट्ठे रहते देखा है। मैंने देखा कि यह वृद्धा अपने व्यवस्था-कौशल से, अपनी उन बहुओं से उनके स्वभाव के अनुसार व्यवहार करके, परिस्थितियों के अनुसार कभी कठोर होकर और कभी क्षमा और उदारता दिखाकर बरसों तक प्रतिकूल स्वभाववाली उन सारी स्त्रियों में शांति और सौहार्द रखने में सफल होती है। मैं पूछता हूँ कि क्या यह चीज ऐसी परिस्थितियों में हम अपने देशों में सिद्ध करने की उम्मीद कर सकते हैं ? हमारे देशों में तो हम इतना भी नहीं कर पाते कि एक ही घर में रहने वाली दो स्त्रियाँ आपस में मिल-जुलकर रहें।

''किसी सभ्य देश में ईमानदारी से किए जाने योग्य जो भी कार्य होते हैं, उनमें शायद ही कोई ऐसा हो, जिसमें हिंदू स्त्रियाँ समुचित हिस्सा न लेती हों। घर-गृहस्थी की व्यवस्था और परिवार की सार-सँभाल के सिवा किसानों की पत्नियाँ और लड़कियाँ अपने पतियों और पिताओं को खेती-किसानी में मदद पहुँचाती हैं। व्यापार-धंधा करनेवालों की स्त्रियाँ उन्हें उनकी दुकान चलाने में मदद करती हैं। कितनी ही स्त्रियाँ अपने बल पर दुकानें चलाती हैं, वे अपना हिसाब-किताब युक्तियों के द्वारा बहुत अच्छी तरह रखती हैं और व्यापारिक सौदे करने में पुरुषों से भी चतुर मानी जाती हैं।''

फ्रेडरिक मेक्समूलर— ''हमारा सारा पालन-पोषण यूनानियों, रोमनों और केवल एक ही सामी जाति, अर्थात् यहूदियों की विचार-संपद् पर हुआ है। यदि मैं अपने आपसे यह प्रश्न करूँ कि अपना आंतरिक जीवन अधिक संपूर्ण, अधिक व्यापक, अधिक सर्वस्पर्शी या ऐसा कहें, सही अर्थों में अधिक मानवतापूर्ण बनाने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह हम यूरोपवासियों को कहाँ से मिल सकती है, तो मैं फिर भारत का ही नाम लूँगा।''

सेवॉन मेकेनिक्स इंस्टीट्यूट के.जे. यंग— ''भारत में बसने वाली ये जातियाँ नैतिक दृष्टि से दुनिया में शायद सबसे ज्यादा विशिष्ट हैं। उनके व्यक्तित्व और स्वभाव से नैतिक पवित्रता टपकती मालूम होती है, जिसकी हम सराहना किए बिना नहीं रह सकते। गरीब वर्गों के बारे में यह बात खासतौर पर लागू होती है। जो गरीबी से उत्पन्न अभावों के बावजूद सुखी और संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। वे प्रकृति के सच्चे बालक हैं और अपना जीवन कल की चिंता किए बिना और विधाता ने उन्हें रूखा-सूखा जो भी दे रखा है, उसके लिए उसका आभार मानते हुए, संतोष से बिताते हैं। स्त्री और पुरुष मजदूरों को दिन भर की कड़ी मजदूरी के बाद, जो कभी-कभी तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती रहती है, शाम के समय घर वापस आते हुए देखिए तो आपको विस्मय होगा। लगातार कड़ी मेहनत करने के फलस्वरूप होने वाली थकान के बावजूद वे लोग ज्यादातर खुश नजर आते हैं, उनके हाथ-पाँव में तब भी सजीवता होती है, आपस में उत्साहपूर्वक बातचीत करते होते हैं और बीच-बीच में किसी गीत की कड़ी गुँजा उठते हैं। भारतीय घरों में पारिवारिक सौहार्द तो सामान्यतया मिलता ही है। भारत में प्रचलित विवाह-संबंध की रीति का खयाल किया जाए तो वह कुछ अजीब-सी मालूम होती है, क्योंकि विवाह संबंध जोड़ने का काम वहाँ माता-पिता करते हैं। अधिकतर घर-परिवार हर तरह से सुसंपन्न श्रेष्ठ वैवाहिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसका कारण शायद उनके शास्त्रों की शिक्षा और वैवाहिक कर्तव्यों के विषय में उनके महान् आदेश हैं। लेकिन यह कहने में भी कोई अत्युक्ति नहीं कि पति सामान्यतया अपनी पत्नियों से गहरा प्रेम करते हैं और अधिकांश पत्नियाँ पति के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में बहुत ऊँचे आदर्श रखती हैं।''

आज की स्थिति

आज भारत के गाँवों की स्थिति शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, कुटीर उद्योग इत्यादि के क्षेत्र में बहुत खराब है। वे या तो शहरों के अनुयायी हो गए हैं या शहरों में समा गए हैं। कई तो अभाव के अंधकार में डूबकर नष्ट हो गए हैं। आजादी के इन साठ वर्षों में भारत के हजारों गाँव शहरों के मुहल्ले बनकर रह गए। शहरी संस्कृति के कारण परस्पर सहयोग, संवेदना और सहायता का भाव घट रहा है। कृषि मशीनीकृत हो गई। धरती कीटनाशकों और रसायनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण अपनी उत्पादकता व पौष्टिकता खो रही है। नदियाँ, तालाब व कुएँ सूखने लगे हैं। जल, जंगल, जमीन पर पैसा भारी पड़ रहा है। किसान से कॉरपोरेट्स और कारखाने भूमि खरीद रहे हैं। प्राप्त आय का सुखभोग की वस्तुओं में व्यय कर किसान श्रमिक बन रहा है। किसान का जीवन अप्राकृतिक वस्तुओं से नहीं, धरती से चलता है, खेती से चलता है, गाँव से चलता है। वर्तमान ग्राम्य जन गाँव का साफ-सुथरा वातावरण छोड़ नगरों की गंदी बस्तियों में रहने पर भी गर्व का अनुभव करते हैं।

आज गाँव की इस स्थिति का मूल कारण वे विदेशी शासक हैं, जिन्होंने जानबूझकर भारतीय मौलिक व्यवस्था की न्यूनतम इकाई ग्राम को विखंडित करने के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक और नागरिक व्यवस्थाओं को तोड़ा। अंग्रेजों द्वारा बनाई व्यवस्था, कानून, संरचना, सामग्री, पद्धति जोर-जबरदस्ती भारतवासियों पर थोप दी गई। जिसके परिणाम आज सबके सामने हैं।

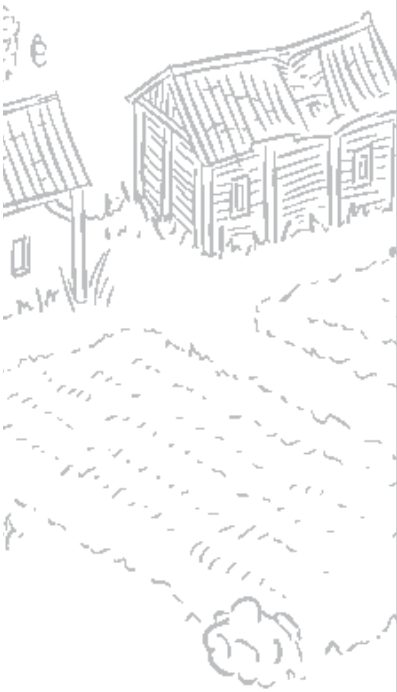

विकास की भ्रांत धारणाएँ

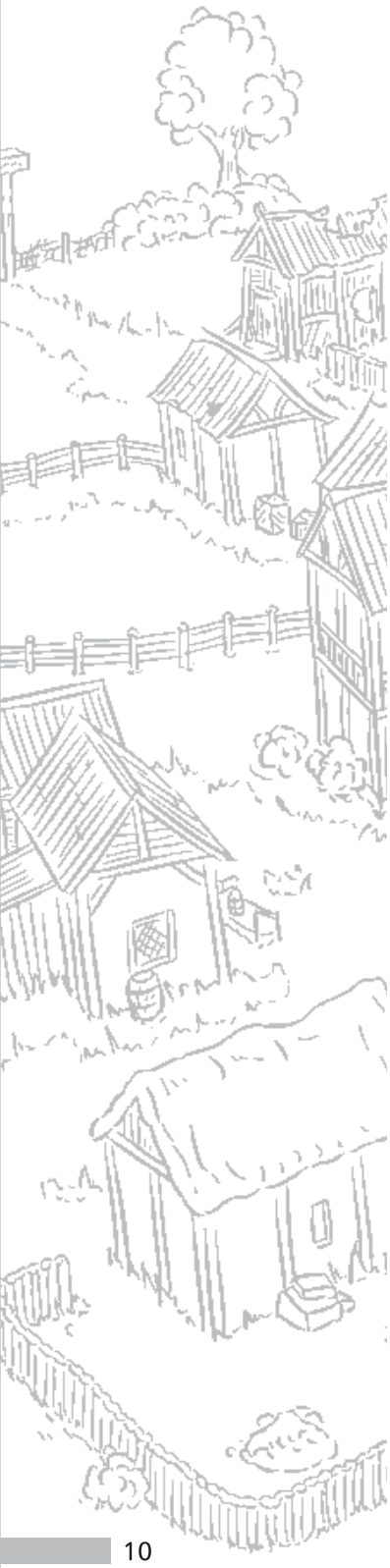

एक झलक

- प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं, विदेशी भाषा में होनी चाहिए।
- भारतीय वेश-भूषा पिछड़ेपन की पहचान है।
- रसायन का भरपूर प्रयोग करो, ज्यादा से ज्यादा पैदावार लो। भले ही जमीन बंजर हो जाए।
- गाय, भैंसों को इंजेक्शन लगाकर अधिक से अधिक दूध निकालो।
- व्यक्तिगत अधिकार की बातें करो।
- बलशाली को जीतने व जीने का अधिकार है।
- प्रकृति का शोषण कर उस पर विजय प्राप्त करो।
- भोग करने के लिए भौतिक आवश्यकता की पूर्ति पहली प्राथमिकता।
- पैदा किए गए माल के लिए कृत्रिम माँग बाजार में उत्पन्न करना।
- पाश्चात्य ज्ञान से ही विकास-पथ पर चला जा सकता है।
- मनुष्यता से बढ़कर पैसा, धर्माचरण से बढ़कर अधिकार।
- अक्षर ज्ञान के शिक्षितों द्वारा पारंपरिक हुनरवालों को निकृष्ट भाव से देखना।

विकास अर्थात् क्या?

स्पष्ट कल्पना

विकास एकांकी नहीं, समग्र होना चाहिए। संपूर्ण होना चाहिए। वह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, आत्मिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक सब प्रकार का हो। समाज की सभी शक्तियाँ स्वप्रेरित और स्वावलंबी हों। वह निरंतर होता रहे। जिस प्रकार किसी एक व्यक्ति को या एक पीढ़ी को शिक्षित करने से पूरा समाज शिक्षित नहीं होता, उसी प्रकार विकास के लिए एक समय में, एक बार किए गए कार्य भी संपूर्ण नहीं होते। वे निरंतर चलते रहना चाहिए। परंपरा में, पीढ़ियों में उन्हें सतत प्रवहमान रहना चाहिए।

विखंडित ग्रामीण व्यवस्था के पुनर्स्थापना का जो काम आजादी के बाद होना था, वह भी शुरू न हो सका। भारत के वैभव की स्थापना के लिए ग्राम्य जीवन की हमें पुनर्रचना करनी होगी। इसे क्रमबद्ध आरंभ करना होगा। हमारे गाँव एकदम स्वस्थ, शिक्षित, निर्भय, और आत्मनिर्भर हों। विकास स्थानीय संसाधनों के द्वारा परिष्कृत तकनीक से किया जाए, मात्र आधुनिक मशीनों से नहीं। आधुनिक युग में भारत को समृद्ध करने के लिए हमें इन्हीं बातों को अंगीकार करना होगा।

समग्र ग्राम विकास की आधारभूत योजना बनानी होगी, जिसमें ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय श्रम, स्थानीय साधन, शिक्षा और लोकजीवन की संस्कृति आधार बने, इसे क्रमबद्ध लागू करना होगा।

गाँव की सुरक्षा का अभियान चलाना होगा। हमें एक ऐसे गाँव की अवधारणा विकसित करनी है, जिसमें गाँव सुरक्षित हो, सुसंस्कृत हो, आत्मनिर्भर हो, शिक्षित और स्वस्थ हो। शिक्षा संतुलित व समृद्ध जीवन की कला सिखाए और गाँव में ही रोजगार के अवसर विकसित करे।

हम समग्र विकास के लिए स्थान और स्थानीयता को अंगीकार करें, जो व्यक्ति जहाँ जनमा है, वहीं पले, वहीं बढ़े, ऊँची से ऊँची शिक्षा प्राप्त करे। जीवन में प्राप्त क्षमताओं का प्रयोग अपने गाँव के विकास में करें।

पूर्ण स्वावलंबी, विकसित, सुसंस्कृत, स्वस्थ, समपूरक आदर्श ग्राम का निर्माण स्थानीय जन, स्थानीय संस्थाओं, स्थानीय संसाधन और स्थानीय संकल्प से ही हो। इसमें ग्राम का प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट व हर परिवार समृद्ध हो। वह अभय के वातावरण में जीवन जिए।

1. व्यक्ति का विकास

संपूर्ण व्यवस्था के विकास का आधार व्यक्ति होता है। यदि व्यक्ति विकसित नहीं है, तब न तो समाज का विकास होगा और न ग्राम का। व्यक्ति का शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की योजना पर काम करना होगा। इस बात की चिंता की जानी चाहिए कि व्यक्ति स्वस्थ हो, सक्रिय हो और निर्भय हो। उसे खेलने, पढ़ने व काम करने के योग्य अवसर मिले। उसकी शिक्षा का प्रबंध गाँवों में हो। उसे अपनी मानसिक क्षमता को विकसित करने, स्वयं को स्पर्धाओं के योग्य बनाने के लिए देश-दुनिया के विभिन्न विषयों की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रबंध गाँव में ही हो।

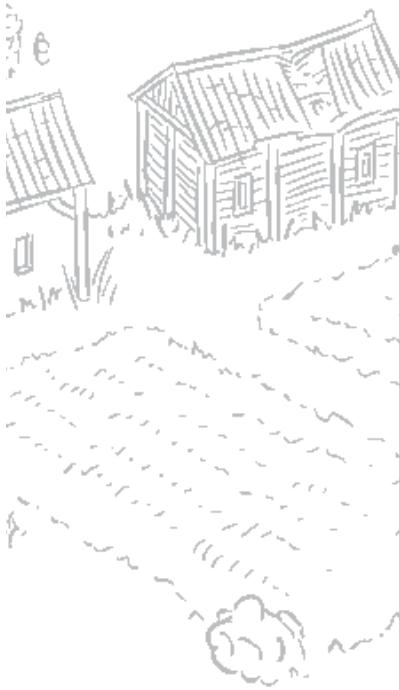

2. व्यवस्था का विकास

गाँवों की व्यवस्था को आत्मनिर्भर, पारदर्शी और संतोषजनक बनानी होगी। गाँवों के सामाजिक, कृषि एवं वाद-विवादों का निबटारा पंचायत स्तर पर त्वरित एवं संतोषजनक हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। उसे शासन तंत्र के चक्कर न लगाने पड़ें। खाद व कीटनाशकों की व्यवस्था प्राकृतिक एवं पारंपरिक हो। विभिन्न व्यवस्था के सृजन में स्थानीय स्रोत व स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाए।

3. विचार का विकास

वस्तुत: व्यक्तित्व निर्माण में विचारों का सबसे बड़ा योगदान होता है। उसके विचार सकारात्मक हों, सृजनात्मक हों, इसके प्रबंध गाँव में ही होने चाहिए। व्यक्तित्व निर्माण की छोटी-छोटी कहानियाँ, जो साहस, शौर्य व जिजीविषा के उदाहरणों से भरी हों, बच्चों को सुनाई जानी चाहिए। भारतीय वाङ् मय और इतिहास में हुए महापुरुषों की जीवनियाँ लोकभाषा में देना ठीक रहता है। भारतीय महाग्रंथों के साथ, प्रेरणास्मरणों को भी कहानी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर बाँटी जा सकती हैं। सामूहिक उत्सव, आयोजन के समय नाट्य, लोकगीत, काव्य के द्वारा विचार का विस्तार सहज मार्ग है।

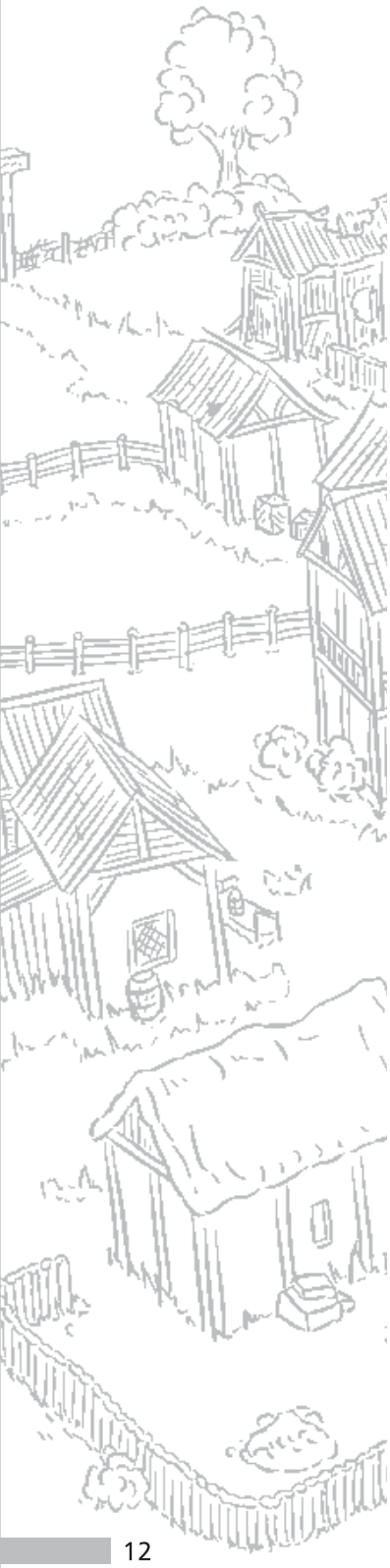

4. समाज प्रबोधन

किसी भी समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें स्वत्व का बोध जाग्रत् न हो। स्वप्रेरणा से समाज जाग्रत् होता है और विकसित भी। प्रकृति, व्यक्ति, समूह सब में आपसी सामंजस्य बढ़ाने के कार्य हैं। जब समाज का विस्तार समग्र स्वरूप में होगा, तभी समाज स्वावलंबी, आत्मनिर्भर हो समृद्ध बनेगा और स्वाभिमानी भी रहेगा। जाग्रत् समरस समाज की रचना के लिए गाँव में पारंपरिक, धार्मिक प्रसंग, पर्व, उत्सव, मेलों का आयोजन हो। सामूहिक आयोजन से विश्वास का निर्माण होता है। कृषि, स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक हुनर को प्रशिक्षण से बढ़ाया जाए। प्रतिभाओं को सम्मानित कर उत्साहित किया जाए। गाँव की समस्याओं का निबटारा गाँव में ही हो। आतंकवाद व उपभोक्तावाद से सामना करने हेतु युवकों की टोलियों को सक्षम बनाने के लिए उनमें राष्ट्रभाव का जागरण अनिवार्य तत्त्व है। इस तरह सुसंस्कृत, जाग्रत् समाज स्वावलंबी होकर विकसित होता जाएगा।

समग्र ग्राम विकास के चरण

1. ग्राम चयन

सर्वप्रथम एक गाँव का चयन करें। ग्राम चयन के पहले लगातार भ्रमण करना होगा। ऐसे गाँव का चयन करें, जहाँ काम करने की वास्तविक आवश्यकता है। जहाँ अशिक्षा, अंधकार और अभाव हो। ऐसे चार-पाँच गाँवों की सूची बनाएँ। इनमें से चुनाव करें। ध्यान रहे, गाँव के चयन में निर्णय के स्तर पर भूल न हो। चयन निष्पक्ष हो।

2. ग्राम प्रवेश

ग्राम चयन के बाद मानसिक तैयारी कर गाँव में प्रवेश करें। हो-हल्ला व प्रदर्शन किए बगैर शांति से प्रवेश करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपना पूरा परिवार और सगे-संबंधियों को लेकर प्रारंभ में न जाएँ। गाँव को पिकनिक अथवा पर्यटन-स्थल न बनाएँ। प्रवेश सहज, सरल व प्राकृतिक रहे। वह सभी दृष्टियों से सभी को स्वाभाविक लगे।

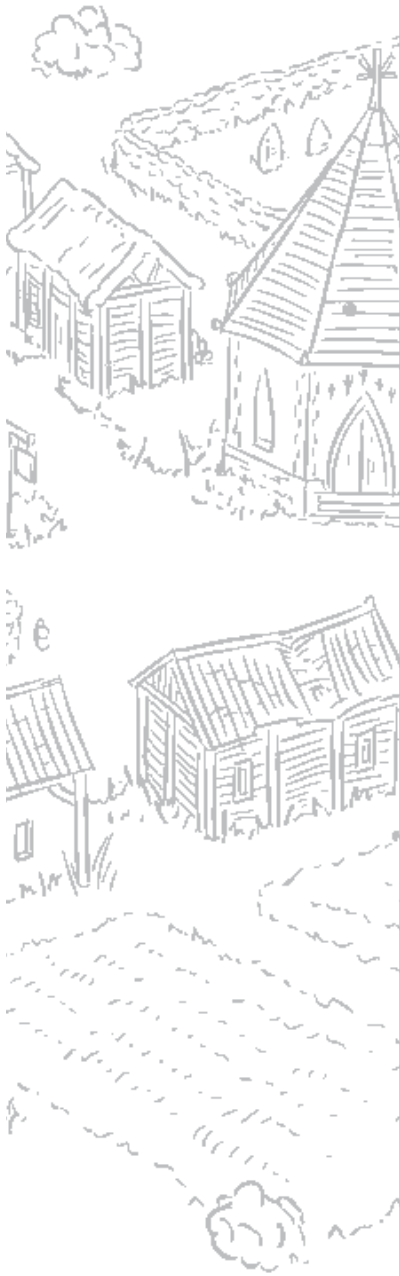

3. ग्रामवासियों में हृदय-प्रवेश

गाँव में प्रवेश के बाद आप ग्रामवासियों के हृदय में विश्वास भाव का जागरण करें। उनके आकलन पर खरे उतरें। विश्वासपात्र बनें। उनका विश्वास जीतें। बातचीत में आत्मीयता हो। प्रारंभिक चर्चा गाँववालों की इच्छा व मान्यताओं के अनुरूप हो। अनावश्यक बड़ी-बड़ी बातें, समाज सुधारक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने से बचें। बातचीत से ही विश्वास बढ़ाएँ। आपके व्यवहार से, बातचीत से लोग आपको समझेंगे। जब वे आपको समझ लेंगे, तभी विश्वास जमेगा और आप ग्रामवासी के हृदय में प्रवेश कर पाएँगे। आपके प्रति एक विश्वास, अपनेपन का वातावरण समग्र ग्राम विकास का अनिवार्य तत्त्व है।

4. गाँव की क्षमताओं और कमियों का आकलन

ग्रामवासियों का विश्वास प्राप्त होने के बाद गाँव की अच्छाइयों और कमियों का आकलन करें। इसे सूचीबद्ध करें। समस्याओं को देखकर विचलित न होवें, समस्याएँ देखकर जताई गई अनावश्यक प्रतिक्रियाएँ नुकसानदायक रहती हैं। आपको कार्यकर्ता के रूप में नायक की भूमिका निभानी है। कमजोर कभी नायक नहीं बन सकते। समस्याओं का ठीक-ठीक आकलन करें। इन समस्याओं से ही आपको कार्य की दिशा मिलेगी। समस्याओं की सूची बनाते समय स्थानीय समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाए। अच्छाइयों को देखें, आस-पास की विशेषताओं को समझें। गाँव में शहर की प्रशंसा व गाँव की आलोचना आपका मार्ग दुर्गम बना देगी, इससे सौ प्रतिशत बचना ठीक रहता है। गाँव में युवकों के समूह को सकारात्मक ऊर्जा देकर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी तरह अच्छी बातों व अच्छी चीजों को देखने की स्वयं में भी दृष्टि विकसित करें।

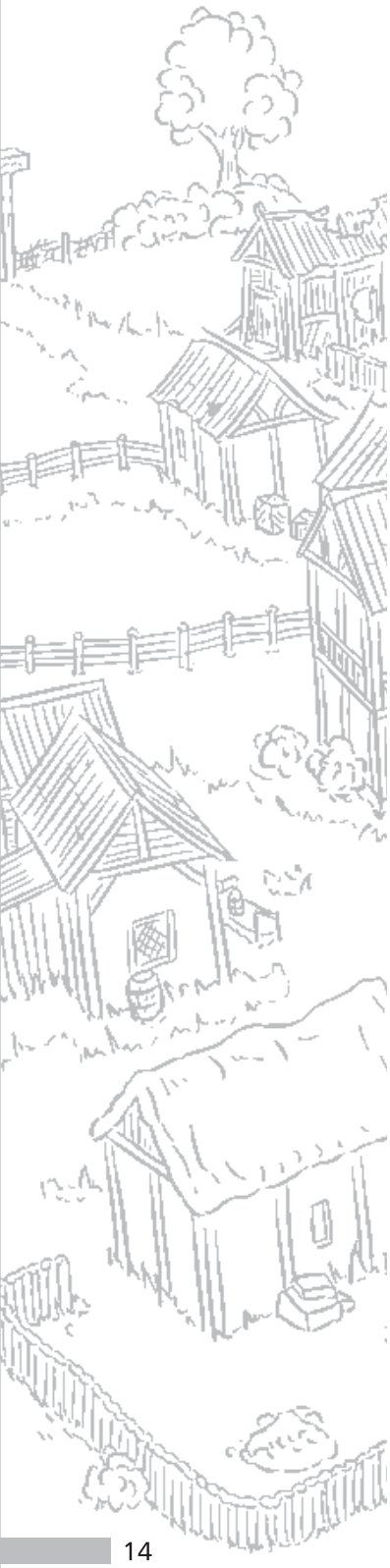

5. समूह निर्माण

गाँव की परिस्थिति जानते समय आपको कई ऊर्जावान, आत्मनिर्भरता के अभिलाषी युवा अथवा जन दिखेंगे, उन पर विशेष ध्यान दें। वे इस गाँव के विकास पुरुष बन सकते हैं। इन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्हें स्पष्ट करना होगा कि आपका गाँव सुसंस्कृत, आत्मनिर्भर, शिक्षित, स्वस्थ और सुखी कैसे हो सकता है ? उन पर कार्य न थोपें। भाषण न दें। आप सहयोगी की भूमिका में रहें और उन्हें स्वप्रेरित होने दें। उन्हें प्रेरणा आपके व्यवहार से मिलेगी, बातों से नहीं। जब वे कार्य के लिए आगे आने की स्थिति में आ जाएँ तो उनका चयन प्रस्फुटन समूह के रूप में करें। यही प्रस्फुटन समूह सहभागिता के साथ अपने गाँव का समग्र विकास करेंगे। स्वावलंबन का भाव गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रस्फुटित करना ही 'प्रस्फुटन' है।

- स्वच्छता
- स्वास्थ्य
- संरचना (ढाँचागत विकास)
- सचिवालय (कार्यालय)
- संस्कार
- संचार
- संचय (लघु बचत विनियोजन)
- पेयजल
- उद्यमिता (रोजगार व उत्पादन)
- पशुधन
- कृषि
- आहार (बच्चे व गर्भवती महिलाएँ)
- अनुशासन
- पर्यावरण

6. कार्य हेतु विषय

सर्वप्रथम किए जाने वाले कार्यों का चयन सबके मत को ध्यान में रखकर हो। उसी कार्य को हाथ में लेना चाहिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक लगता हो। यदि किसी विषय पर एकमत न बने और उस विषय पर कार्य करना आवश्यक हो तो विषय की आवश्यकता को स्पष्ट करें। सबको विश्वास में लें और एकमत होने की परिस्थिति निर्मित करें। बिना संघर्ष, बिना मतभेद के किया गया कार्य ही सफलता प्राप्त करता है।

7. छोटे कदम, छोटी बातें

शांति से बढ़ाए गए छोटे-छोटे कदम और छोटी-छोटी बातें महान् यज्ञ में परिवर्तित हो जाती हैं। हमेशा सहजता और सरलता से मिलकर किए गए काम ही सफल होते हैं। विशाल बनते हैं। छोटे-छोटे कार्यों को सामूहिकता से करें। जैसे सामूहिक गान, स्थानीय परंपरा के पर्व, सामूहिक उत्सव के आयोजन इत्यादि। यदि आपके संकेत पर आयोजन होने लगें तो यह सकारात्मक परिणाम का पहला कदम है। वे सामूहिक कार्यक्रम हाथ में लें, जो गाँव वालों को रुचिकर लगें। जो व्यवस्था से लड़े बगैर पूर्ण हो सकें। सामूहिक कार्यक्रम में प्रथम छोटा-छोटा सफाई अभियान चलाएँ। लोगों को स्वच्छता के बारे में बताएँ। नाट्य, गीतों व धार्मिक व्याख्यानों द्वारा उन तक यह बात पहुँचे कि स्वच्छ रहने और स्वच्छ भोजन से बीमारियाँ कम होती हैं। गाँव की ही सब्जियों, फल आदि के उपयोग के महत्त्व को समझाएँ व सेवन के लिए प्रेरित करें।

नशा और व्यसनों से होने वाले नुकसान समझाएँ। ग्राम या क्षेत्र के गौरव पर बातचीत हो। आपसी व्यवहार से भेदभाव रहित जीवन जीने का संदेश पहुँचे। स्थानीय स्कूलों में सप्ताह में एक बार संस्कारों की, राष्ट्र के वैभव की व अतीत के गौरव की बातें बताएँ। समय-समय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता और पुरस्कार का आयोजन हो। इस तरह धीरे-धीरे सामूहिक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी बढ़ाएँ।

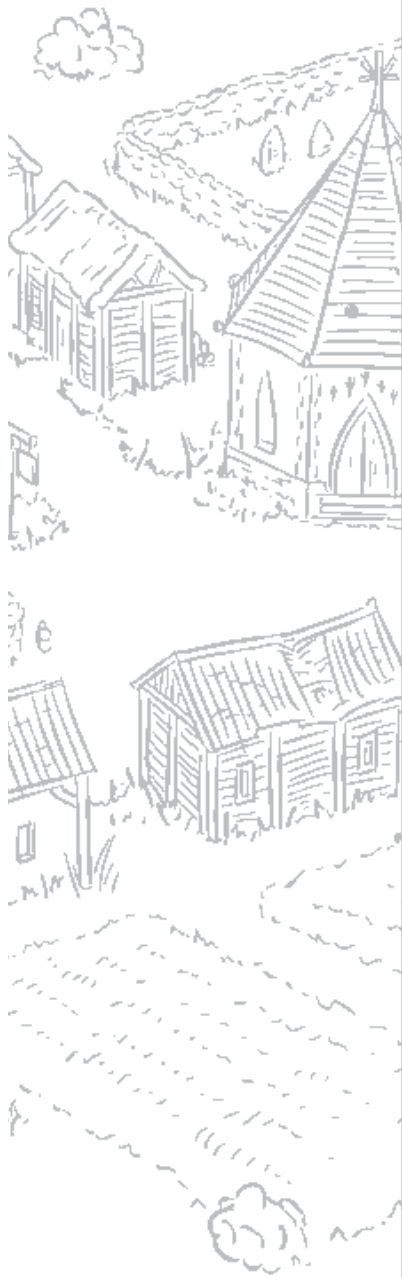

8. गुणात्मकता का आग्रह

समग्र ग्राम विकास का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा, जब गुणवत्ता में कोई समझौता न किया जाए। हमें क्षतिपूर्ति नहीं, पुनर्रचना करनी है। कोई भी रचना सावधानीपूर्वक धीरे-धीरे खड़ी होती है। यदि इसमें कमी रह गई तो अंतिम स्वरूप में भी कमी रहेगी। इसलिए जो भी कार्य हो, वह सही हो, श्रेष्ठ हो व संपूर्ण हो। गुणात्मकता का आग्रह भारत की विशेषता है।

सफलता के मूल तत्त्व

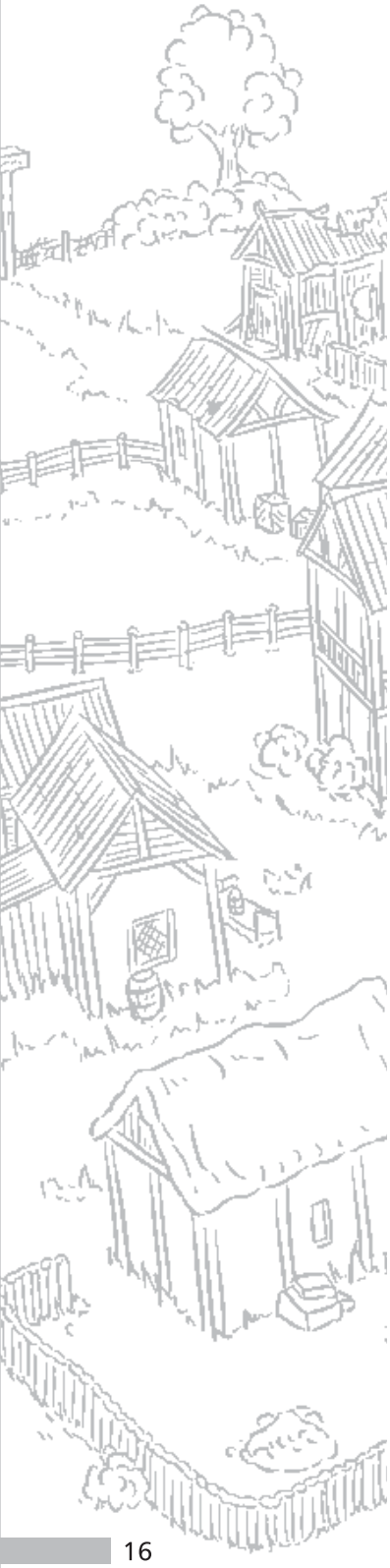

1. स्वयं का निवास

स्वयं के निवास के बिना समग्र ग्राम विकास का कार्य संभव ही नहीं है। कार्य की दृष्टि से चयनित गाँव में सप्ताह में दो दिन एक रात रुकना आवश्यक है। महिलाएँ विश्वास का धरातल खड़ा कर रुकने की व्यवस्था करें। जहाँ हमारा विश्वास उन पर और उनका विश्वास हम पर हो, वहीं निवास करें।

2. स्वयं का व्यवहार

आपका व्यवहार सहयोगात्मक रहे। भाषा का अपना विज्ञान है, इसको आधार मान ग्राम व वन के वासी हमारे संबंध में धारणा बनाते हैं। आँखों में सदैव सहयोगी का भाव रहे व वाणी में समन्वय हो। आँखें मन के भाव स्पष्ट करती हैं। हमारा व्यवहार आत्मीय, संतुलित और सहयोगी जैसा रहे और दिखे भी। गाँव के लोग उसे अनुभव भी करें। यह तभी संभव होगा जब व्यवहार में वास्तविकता होगी। हमारे उठने-बैठने, बोलने, चलने-फिरने, भोजन करने, गाँव में रहने को सभी ध्यान से देखते हैं।

3. उपलब्धियों का वितरण व असफलता का संचय

प्राप्त होने वाली सफलताओं का श्रेय दूसरों को दें। उपलब्धि के लिए ग्रामवासियों को महत्त्व दें। उपलब्धि का वितरण कीजिए। असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, असफलता का कारण ढूँढ़कर समाधान निकाला जाए और उसे सफलता में बदलने का भरपूर प्रयत्न हो।

''मुझे महात्मा गांधी की विचारधारा से बहुत प्रेरणा मिली है। उन्हीं के पास यह समझनेवाली दूरदृष्टि थी कि किसी गाँव में रोशनी लाने के लिए सिर्फ बिजली के खंभों की जरूरत नहीं होती, बल्कि वह सच्चा प्रकाश मूल्यों, सामुदायिक भावनाओं को प्रेरित करने तथा उत्तम शिक्षा को बढ़ावा देने से आएगा। मेरा भी यही विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति, एकता, आत्मविश्वास जैसे मूल्यों का विकास करना भी बुनियादी सुविधाओं के विकास जितना ही महत्त्वपूर्ण है।''

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नवाचार

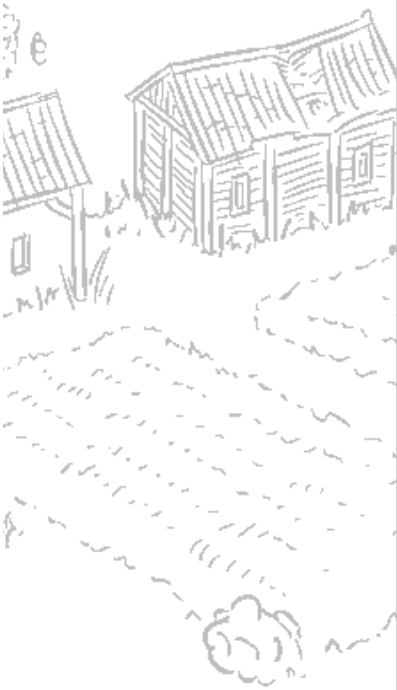

1. शिक्षा व संस्कार

- संस्कार केंद्र अथवा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र प्रारंभ करवाना। राज्यभाषा में शिक्षा।
- विद्यालय तथा आँगनवाड़ी में बच्चों की नियमितता, गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए प्रस्फुटन समूह द्वारा नियमित अंतराल में निरीक्षण।
- खेलकूद, प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान-परीक्षा का आयोजन।
- प्रमुख जयंतियों एवं राष्ट्रीय पर्व पर बच्चों के बीच में कहानी, प्रसंग एवं उत्सव मनाना, ताकि राष्ट्रीय महानायकों के चरित्र को बच्चों में पुनरावृत्ति हो।
- साहस, योजकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम को प्रोत्साहन।

2. स्वास्थ्य

- बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, मासिक अथवा तिमाही।

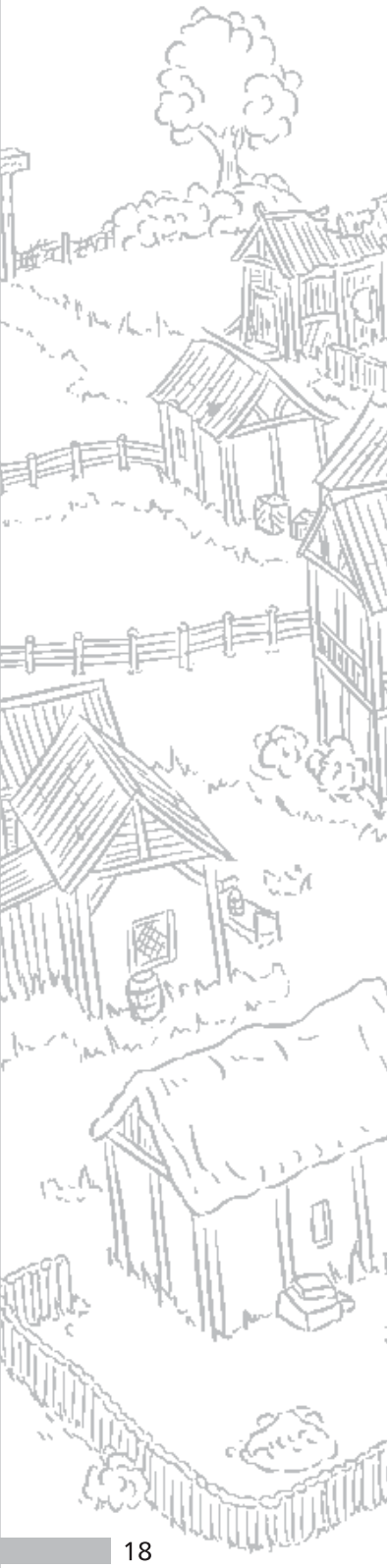

- मध्याह्न भोजन हो या घर में भोजन, सबसे पहले हाथ साबुन, मिट्टी अथवा राख से धुलवाएँ।
- गंभीर बीमारी हेतु गाँव वालों को परामर्श एवं चिकित्सीय सहायता के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना।
- आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी व परंपरागत घरेलू नुस्खों को पुन: प्रचलन में लाना।

3. स्वच्छता

शौचालय बनवाने एवं उसी में शौचालय जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, गाँव में नालियों की नियमित सफाई व निर्माण। पानी की निकासी, सोख्ते गड्ढे बनाना, गाँव एवं पंचायत तथा धार्मिक स्थलों की सफाई, रास्तों की सफाई, कुएँ, बावड़ी, तालाबों की सफाई एवं गहरीकरण। गाजर घास निर्मूलन जैसे विभिन्न कार्य ग्राम स्वच्छता का आधार बनते हैं।

4. पर्यावरण

- घर-घर तुलसी के पौधे लगाने हेतु रोपणी तैयार करना तथा घर-घर वृक्ष हेतु गड्ढा खुदवाकर पौधों की व्यवस्था करना। इस प्रक्रिया में विद्यालय के बच्चों व युवकों को लेना।
- घर के कचरे से जैविक खाद बनाने का उपक्रम आँगन अथवा घर के पिछवाड़े प्रारंभ करना। बाजार से पॉलीथिन न आएँ, इसके लिए घर से झोला साथ लेकर जाने की आदत डलवाएँ। प्लास्टिक व पॉलीथिन के अनावश्यक उपयोग से बचना व उसे हतोत्साहित करना।
- जब तक खेत में रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ रहेंगी, तब तक भूमि, जल और स्वयं किसान प्रदूषित होते रहेंगे।

खेलकूद एवं व्यायाम

खेलकूद की व्यवस्था करवाना। भारतीय खेलों का आग्रह। प्रतिदिन निर्धारित समय पर खेलकूद हों। व्यायाम में दौड़ना, तैरना व सूर्य नमस्कार का आग्रह। गाँव का अपना खेल मैदान विकसित करना।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज एवं विद्युत् की बचत

- गोबर गैस संयत्र की स्थापना पर बल।
- सौर ऊर्जा के उपयोग की विधियाँ बताना।
- विद्युत् बचत के व्यावहारिक पक्ष समझना।
- रासायनिक खाद व कीटनाशकों के प्रयोग से बचना।
- जैविक खेती का आग्रह।

गौवंश संवर्धन

भारतीय गौवंश पालन व संवर्धन का आग्रह। गाय के दूध से ज्यादा प्रभावी है गाय का गौमूत्र व गोबर। गौमूत्र कीटनाशक के रूप में उपयोगी है। उसकी विभिन्न विधियाँ विकसित करना। हजारों वर्षों की खेती के बाद भी अगर हमारे खेतों की उर्वरक क्षमता बनी रही है तो उसका प्रधान कारण गौवंश के गोबर से बनी खाद है। जीवन भर गाय हमें दूध, गौमूत्र, गोबर देती है और मरकर स्वयं को खाद बनाकर अपनी संतानों के काम आती है। अत: घर-आँगन में भारतीय गौवंश पालें इसका आग्रह।

उत्तम कृषि के लिए प्राकृतिक खाद जरूरी है, वह भारतीय नस्ल की गाय से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। इस हेतु कम से कम एक या दो गाय का पालन स्वयं करें।

लाभ

- देशी गाय के दूध व घी उत्तम आहार हैं। बच्चों की बुद्धि भैंस व जरसी गायों का दूध पीने से उसी प्रकृति की हो जाती है।
- गाय के गोबर से खाद बनाएँ व गौमूत्र का पैदावार पर छिड़काव करें।
- भारतीय गाय घर में निवास करने से स्थान का वास्तुदोष व अपने हाथों से यथाशक्ति सम्मान करने से शरीर दोष दूर होते हैं। गौवंश और धरती की मिट्टी के स्पर्श से वात, पित्त व कफ का शारीरिक संतुलन होता है।
- क्या यह इस (कलयुग) का प्रभाव है कि हिंदुस्तानी साधन सभी देवता को अपने में निवास करवाने वाली भारतीय गौवंश भी गायों की सँभाल सेवा व सुरक्षा छोड़कर विविध आडंबरों में भगवान तलाश रहा है।
- भारतीय गौवंश की नस्ल संवर्धन के लिए विविध नियम व मार्गों का सतत अवलंबन करें। गाय गोबर व गौमूत्र जीवन भर देती है। यही उसके आहार से अधिक मूल्य का है। दूध तो उसके अतिरिक्त है। वंश बढ़ने से होने वाला फायदा तो गणना से परे है।

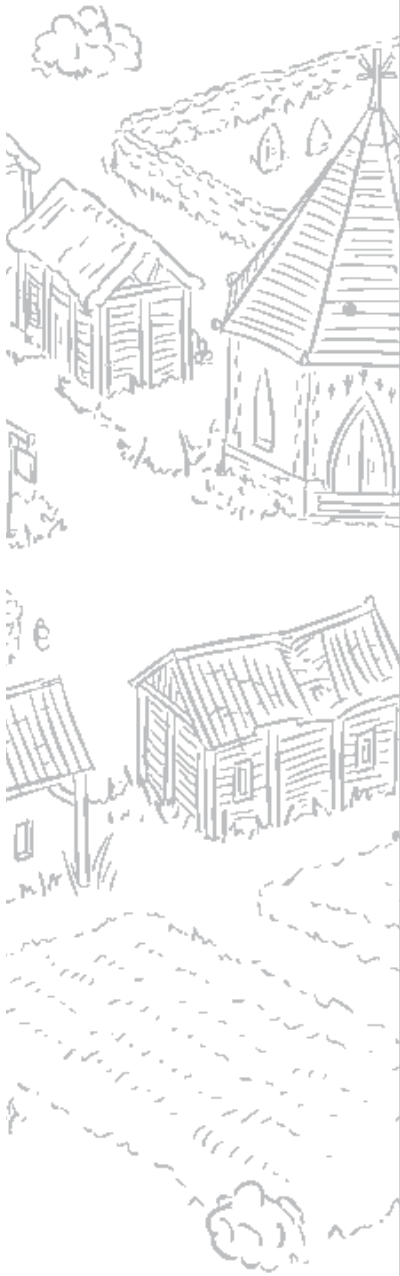

आस-पास के पौधों से रोग निदान

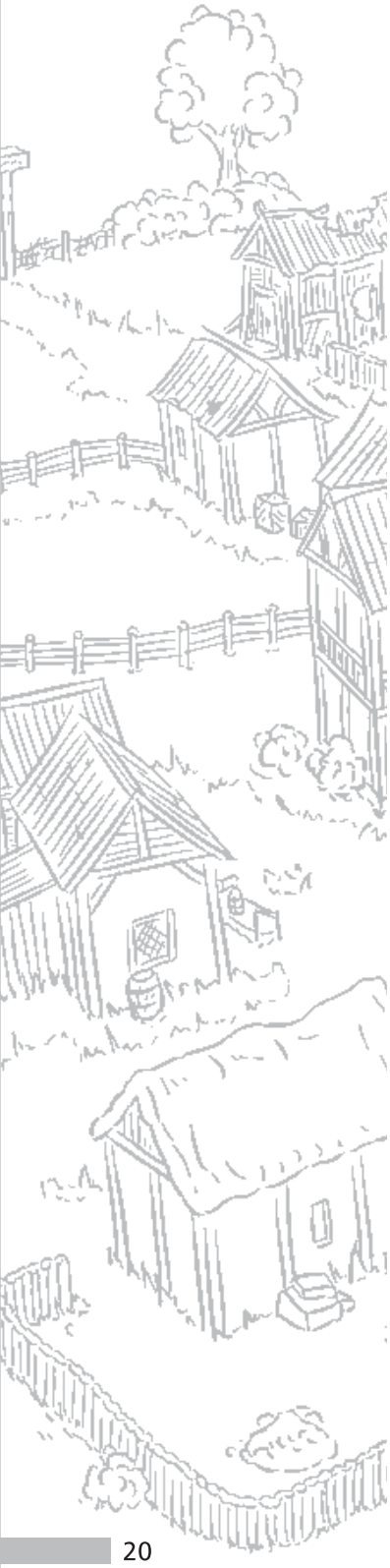

क्र.	औषधीय पौधा	रोग में उपयोगी	प्रयोग करने का तरीका
1.	कालमेघ (चिरायता)	मलेरिया और बुखार में।	पौधे की डालियाँ, जड़, फूल, फल, बीज का काढ़ा या पीसकर पानी के साथ लें।
2.	गिलोय (गुडबेल)	बुखार, त्वचा रोग एवं रक्त विकार व चिकनगुनिया रोग में।	पत्ते व डालियों को पीस, रस निकालकर पीना।
3.	ग्वारपाठा	लीवर रोग, रक्त विकार, खाँसी, त्वचा रोग, स्त्री रोग व गठिया में।	गूदा आधा कप या 50 एम.एल. पानी में मिलाकर लेना।
4.	कड़वी नीम	त्वचा रोग, पेट के रोग एवं मधुमेह (डायबिटीज) में।	20-30 पत्तियों का रस पीना। त्वचा रोग में पत्तियों को पीसकर लेप करें।
5.	तुलसी	सर्दी-जुकाम, बुखार, त्वचा, लीवर रोग, अजीर्ण, पित्त विकार आदि में।	20-30 पत्तियों का रस पीना। त्वचा रोग में पत्तियों को पीसकर लेप करें।
6.	मीठी नीम	पेट, अपच एवं जहरीले कीड़ों के काटने पर।	पत्तों को पीसकर रस पीना और जहरीले कीड़ों के काटने पर पत्तों का लेप करना।
7.	अगिया (लेमनग्रास)	गठिया रोग, सर्दी में।	नारियल तेल में पत्तियों को उबालकर मालिश करना तथा गुड़, अदरक के साथ काढ़ा बनाकर पीना।
8.	सहिजन (सरगवा)	सूजन, गले की गाँठ, पेट के कीड़े, खाँसी, वात, स्त्री रोग व आँखों आदि के रोग में।	पत्तियों व फूलों को उबालकर व उसे छानकर रस पीना। फलियों का सब्जी के रूप में उपयोग करना।
9.	पीपल	कब्ज, बवासीर, स्त्री रोग में।	पत्तों का रस पीना

उद्यमिता और श्रम ही विकास है

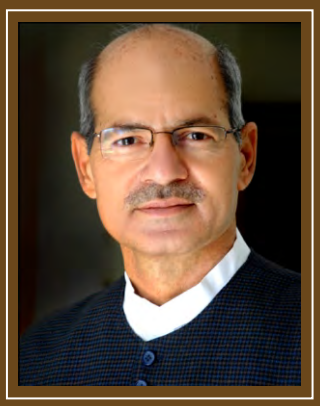

नर्मदासुत अनिल माधव दवे

(1956 - 2017)

बड़नगर, उज्जैन में विजयादशमी को जन्म। प्रारंभिक शिक्षा रेलवे में कार्यरत पिता के साथ गुजरात के विभिन्न अंचलों में। 1964 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। अनंतर इंदौर के गुजराती कॉलेज से एम.कॉम.। छात्र संघ अध्यक्ष। ग्राम्य अर्थव्यवस्था व प्रबंधन में विशेषज्ञता। शौकिया पायलट। कुछ आजमाइश नौकरी व उद्योग-धंधों में।

नर्मदा समग्र के संस्थापक। जन-अभियान परिषद् (स्वयंसेवी संगठनों के दर्शन और व्यवहार को क्रियारूप देने का प्रयास करने वाली म.प्र. की संस्था) के रचनाकार। पर्यावरण और विशेषत: नदी संरक्षण पर गंभीर चिंतन एवं कार्य। विचारक, लेखक, कुशल संगठक एवं भारतीय लोक व शिष्ट परंपरा के अध्येता। स्फुट सामयिक निबंध व कविताएँ प्रकाशित। मासिक 'चरैवेती' के पूर्व संपादक। राज्यसभा सांसद (2009-2017) और केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (2016-2017)।

प्रकाशन : 'नर्मदा समग्र', 'सृजन से विसर्जन तक', 'शिवाजी व सुराज' (हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, मलयालम एवं तेलुगु भाषाओं में), 'शताब्दी के पाँच काले पन्ने (सन् 1900 से 2000)', 'सँभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से', 'महानायक चंद्रशेखर आजाद', 'रोटी और कमल की कहानी', 'अमरकंटक से अमरकंटक तक', 'समग्र ग्राम विकास', 'Beyond Copenhagen: Yes I Can, So Can We...'.

विकास अर्थात सुख, समृद्धि एवं आनंद...